

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 581 जयपुर/20 09-10

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान पेट्रोल डीजल रिजर्व

- एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक..... 16 माह..... सितम्बर सन् दो हजार 22 (2009)

को जयपुर में किया गया।



वी. के. वर्मा
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर